

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 226 / 2022**

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय गुप्ता, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं0 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा 122002 तथा शाखा कार्यालय पहली मंजिल बी 21, रामा कॉम्प्लेक्स, मान नगर, झुंझुनू 33001 ( राज0 ) में स्थित कार्यरत है।

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती संगीता देवी पत्नि श्री धर्मवीर, जाति मेघवाल, पता खुडाना, बगड, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू-333023
2. श्री धर्मवीर पुत्र बिहारी लाल, जाति मेघवाल, पता खुडाना, बगड, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू-333023
3. बिहारी लाल पुत्र श्री कुरडाराम, जाति मेघवाल, पता खुडाना, बगड, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू-333023
4. श्री सुरेन्द्र पुत्र बिहारी लाल, जाति मेघवाल, पता खुडाना, बगड, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू-333023

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

1. श्री उम्मेद सिंह, एडवोकेट- प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री होशियार सिंह, एडवोकेट- अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक 31.10.2022

प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था से दिनांक 13.08.2017 को खाता संख्या LAP500000585 में रूपये 5,00,000/- ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्यूरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति के असल कागजात मय उस पर निर्मित तामीरात के प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन किया जो कि निम्न प्रकार है:-


सम्पत्ति का विवरण

बिहारी लाल पुत्र श्री कुरडाराम की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो कि पट्टा नं0 75, ग्राम खुडाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू ( राज0 ) पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 203.67 वर्गगज है

चतुः सीमायें:-

पूर्व : आम रास्ता  
पश्चिम : आम रास्ता व चौक  
उत्तर : आम रास्ता व चौक  
दक्षिण : सन्त कुमार का मकान



  
जिला कलक्टर झुंझुनू


अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 27.05.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता संख्या LAP500000585 में रुपये 4,92,758.80 ( शब्दों में रुपये चार लाख बानवे हजार सात सौ अठावन व पैसे अस्सी मात्र ) 30.06.2021 तक जिस पर आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2021 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया। अप्रार्थीगण ने धारा 13 ( 2 ) के नोटिस प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी संस्था को नहीं किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी संस्था सिक्क्यूरिटी रहन व दृष्टिबंधक सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। सिक्क्यूरिटी रहन व दृष्टिबंधक सम्पत्ति को ताले लगे होने की स्थिति में सम्पत्ति पर लगे तालों को तोड़ा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाये जाने की प्रार्थना श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अप्रार्थीगण की निम्न चल व अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद के अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने के आदेश पारित फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कम्पनी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 अनुपस्थित। सुनवाई हेतु बार-बार आवाज लगाई गई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 अनुपस्थिति में एकतरफा बहस सुनी गई। .


हमने प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात व जबाब वकील अप्रार्थीगण का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

  
कलेक्टर बुन्देलखण्ड

तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी बिहारी लाल पुत्र श्री कुरडाराम के मालिकाना हक की अचल संपत्ति पट्टा नं० 75, ग्राम खुडाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू ( राज० ) पर स्थित है। जिसकी माप लगभग 203.67 वर्गगज मे स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल०एस०कुडी )  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू